

ई.आफिस.फा.सं.-जी-11018/01/2015-जल-II

भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003
दिनांक: 27 जनवरी, 2015

सेवा में,


प्रधान सचिव/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के प्रभारी सचिव
सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश

विषय: एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देश - 2013 में संशोधन

इस मंत्रालय ने, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) को अनुमोदित करते समय मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णय तथा सचिव, एसएजीवाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिनांक 02-01-2015 के अ.शा. पत्र सं. एम-13012/03/2014-एसएजीवाई के अनुसरण में, पैरा 15 (आयोजना) में नया उप-पैरा 15.9 जोड़ते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) दिशा-निर्देश - 2013 में संशोधन किया है। दिनांक 27-01-2015 के संशोधन की प्रति आगामी सूचना तथा अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(ए.के. श्रीवास्तव)

अवर सचिव (जल)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री एल.सी. गोयल, सचिव, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

ई.आफिस.फा.सं.-जी-11018/01/2015-जल-॥

भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

चौथा तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली - 110003
दिनांक: 27 जनवरी, 2015

एनआरडीडब्ल्यूपी दिशा-निर्देश - 2013 में संशोधन

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) दिशा-निर्देश - 2013 में पैरा 15 (आयोजना) में नया उप-पैरा 15.9 जोड़ते हुए निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है जो इस प्रकार है:-

“15.9 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए”।

इसे माननीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।

अजीय ल

(ए.के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव (जल)

* यह सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) को अनुमोदित करते समय मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णय तथा सचिव, एसएजीवाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिनांक 02-01-2015 के अ.शा. पत्र सं. एम-13012/03/2014-एसएजीवाई के अनुसरण में है।